

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-1/835/2022/10-11/307

भोपाल, दिनांक 23-01-25

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,

लिंक रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वन मंडल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष PF-334 के रकबा 4.59 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का- आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/152432/2022

-0-

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./ 6-एमपीआर 012/2023-बीएचओ/ दिनांक 25/12/2023

---0---

विषयांकित प्रकरण के संबंध में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 06 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
1	It is observed that the actual area of diversion is 4.633 ha instead of the proposed 4.59 ha, as the area for mining is 4.59 ha including safety zone and the area for approach road is 0.0436 ha. Therefore, correct KML File of 4.633 ha shall be uploaded showing Diversion area, safety zone area approach road and accordingly necessary corrections in online Part-I and Part-II are also required to be done.	इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्था द्वारा KML फाईल में सुधार कर KML फाईल पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
2	In view of the change in area proposed for diversion, the non forest CA area is also required to be provided for 4.633 ha hence accordingly the plantation scheme along with other related documents such as maps, CA KML File of 4.633 ha proposed on non forest land shall be submitted/uploaded.	इस बिन्दु के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि से संबंधित अभिलेख KML फाईल सहित पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
3	Due to non-suitability of non forest land for planting trees @ 1000 trees per hectare, the degraded forest land of 12.50 ha (out of 15.00 ha) has been proposed to plant balance number of seedlings for the said proposal. The State Govt may provide/upload the maps, KML etc for the same in online portal.	इस बिन्दु के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 12.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि की रोपण योजना एवं शेष दुगने बिगड़े वन क्षेत्र की रोपण योजना जिसमें कि 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तैयार कर संलग्न है एवं KML फाईल सहित ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
4	The Lol uploaded in online portal was issued in the year 2021, whose validity was only for 6 months which has already lapsed. Accordingly, a fresh Lol or allotment order shall be submitted/uploaded.	इस बिन्दु के पालन में आवेदक संस्था द्वारा संशोधित LOI प्राप्त कर संलग्न कर ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

5	In compliance of the guidelines in the Handbook of FCA 1980, whenever a proposal for fresh mining is submitted, a brief profile of the lessee/company should be submitted giving details of their existing mining leases in the State with their capacity of production, the present level of average annual production, location of these pits and the status of reclamation of forest land that have exhausted minerals. Along with the same, the State Government shall also submit details of all other mining leases for that particular mineral with their capacity and average annual production and projected future requirements. They should fully justify the necessity of opening new mining leases for that particular mineral.	इस बिन्दु के संबंध में लेख है कि राजस्व क्षेत्र में उक्त खनिज नगण्य है। इसलिये वनक्षेत्र में आवेदन किया गया है। उक्त खनिज वनभूमि में अच्छी गुणवत्ता एवं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिये वनभूमि की मांग की गई है। खनिज की उपलब्धता के संबंध में जियोलॉजिकल की रिपोर्ट संलग्न है।
6	The State Government may confirm that the proposed mining conforms to the DSR of the concerned districts (as per EMSMG-2020 of SGMG-2016) issued by Competent Authority.	इस बिन्दु के संबंध में जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला रीवा/मऊगंज के पत्र क्रमांक/308/खनिज/2024 दिनांक 20.11.2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Hi
21.01.25
(एच.एस.मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23-01-25

पृ. क्रमांक/एफ-1/835/2022/10-11/308
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश ।
- 2 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश ।
- 3 श्री ललित पंधाल प्रोपराइटर स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975/76, सेक्टर 13 हुद्दा भिवानी, हरियाणा ।
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

Hi
21.01.25
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

दिनांक 21-1-2025

प्रति

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन भवन तुलसी नगर
(कक्ष भू-प्रबंध) भोपाल (म.प्र.)

विषय:- वन मण्डल रीवा के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 4.59 हेक्टेयर वनभूमि में सैंड पत्थर (क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के हेतु आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स हुड्डा भिवानी हरियाणा को उपयोग पर देने बावत् ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/152432/2022

संदर्भ :- आपका पृष्ठांकन क्रमांक/एफ-1/835/2022/10-11/296 भोपाल दिनांक 15.01.2024

-----0:-----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल एवं आपके संदर्भित पत्र से बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी जिसे बिन्दुवार तैयार कर श्रीमान जी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	It is observed that the actual area of diversion is 4.633 ha instead of the proposed 4.59 ha, as the area for mining is 4.59 ha including safety zone and the area for approach road is 0.0436 ha. Therefore, correct KML File of 4.633 ha shall be uploaded showing Diversion area, safety zone area approach road and accordingly necessary corrections in online Part-I and Part-II are also required to be done.	ऑन लाइन फारेस्ट परिवेश पोर्टल पर सुधार किया गया है एवं के.एम.एल. फाइल अपलोड कर दी गई है।
2	In view of the change in area proposed for diversion, the non forest CA area is also required to be provided for 4.633 ha hence accordingly the plantation scheme along with other related documents such as maps, CA KML File of 4.633 ha proposed on non forest land shall be submitted/uploaded.	प्रकरण में प्रभावित वनभूमि के बदले में गैर वनभूमि की जानकारी के.एम.एल. फाइल, जियो रिफरेश सहित अभिलेख वनमण्डलाधिकारी दक्षिण सागर द्वारा तैयार कर अपलोड कर दी गई है। छायाप्रति संलग्न है।
3	Due to non-suitability of non forest land for planting trees @ 1000 trees per hectare, the degraded forest land of 12.50 ha (out of 15.00 ha) has been proposed to plant balance number of seedlings for the said proposal. The State Govt may provide/upload the maps, KML etc for the same in online portal.	वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा दुगुने बिगड़े वन की जानकारी तैयार कर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन तुलसी नगर भोपाल की ओर प्रेषित की गई है। छायाप्रति संलग्न है।
4	The Lol uploaded in online portal was issued in the year 2021, whose validity was only for 6 months which has already lapsed. Accordingly, a fresh Lol or allotment order shall be submitted/uploaded.	कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा/मऊगंज के पत्र क्रमांक/307/खनिज/2024 दिनांक 20.11.2024 से Lol uploaded रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। छायाप्रति संलग्न है।

M/min

21/1/25

5	In compliance of the guidelines in the Handbook of FCA 1980, whenever a proposal for fresh mining is submitted, a brief profile of the lessee/company should be submitted giving details of their existing mining leases in the State with their capacity of production, the present level of average annual production, location of these pits and the status of reclamation of forest land that have exhausted minerals. Along with the same, the State Government shall also submit details of all other mining leases for that particular mineral with their capacity and average annual production and projected future requirements. They should fully justify the necessity of opening new mining leases for that particular mineral.	प्रस्तावित क्षेत्र के राजस्व क्षेत्र में उक्त खनिज नगन्य है, जिस कारण वनक्षेत्र में आवेदन किया गया है। उक्त खनिज वनक्षेत्र में काफी अच्छी मात्रा में अपार चट्टाने है, जो कि जियोलॉजिकल की रिपोर्ट में दर्ज है छायाप्रति संलग्न है।
6	The State Government may confirm that the proposed mining conforms to the DSR of the concerned districts (as per EMSMG-2020 of SGMG-2016) issued by Competent Authority.	कलेक्टर खनिज शाखा जिला रीवा/मऊगंज के पत्र क्रमांक/308/खनिज/2024 दिनांक 20.11.2024 से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। छायाप्रति संलग्न है।

अतः प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
(ललित पंधाल)

प्रोपराईटर

म.प. 975/76 सेक्टर, 13 हुड्डा भिवानी

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
हरियाणा
21/11/25

(6)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-रीवा/मऊगंज (म0प्र0)

क्रमांक/ 308 /खनिज/2024

रीवा दिनांक : 20-11-24

प्रति,

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स,
प्रो. श्री ललित पंधाल
निवासी मकान नंबर 975/76 सेक्टर 13,
हुड्डा भिवानी, हरियाणा

विषय:- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022 में ग्राम हरई गुजरान तहसील मऊगंज जिला
रीवा/मऊगंज के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.590 हे० क्षेत्र पर
खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु)
उत्खनिपट्टा के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र दिनांक 01.02.2024 एवं 14.11.2024.

--X-X-X--

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, प्रो.
श्री ललित पंधाल निवासी मकान नंबर 975/76 सेक्टर 13, हुड्डा भिवानी, हरियाणा के पक्ष में
ग्राम हरई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा/मऊगंज के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि)
रकवा 04.590 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के
उपयोग हेतु) का उत्खनिपट्टा हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु आशय पत्र स्वीकृत हैं।

रीवा जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022 की अनुमोदित हो चुकी है।
जिसमें उक्त उत्खनिपट्टा पेज क्रमांक 75 के सरल क्रमांक 19 में सम्मिलित है। सूचनार्थ
प्रेषित।

पृ0क्रमांक/ 309 /खनिज/2024
प्रतिलिपि :-

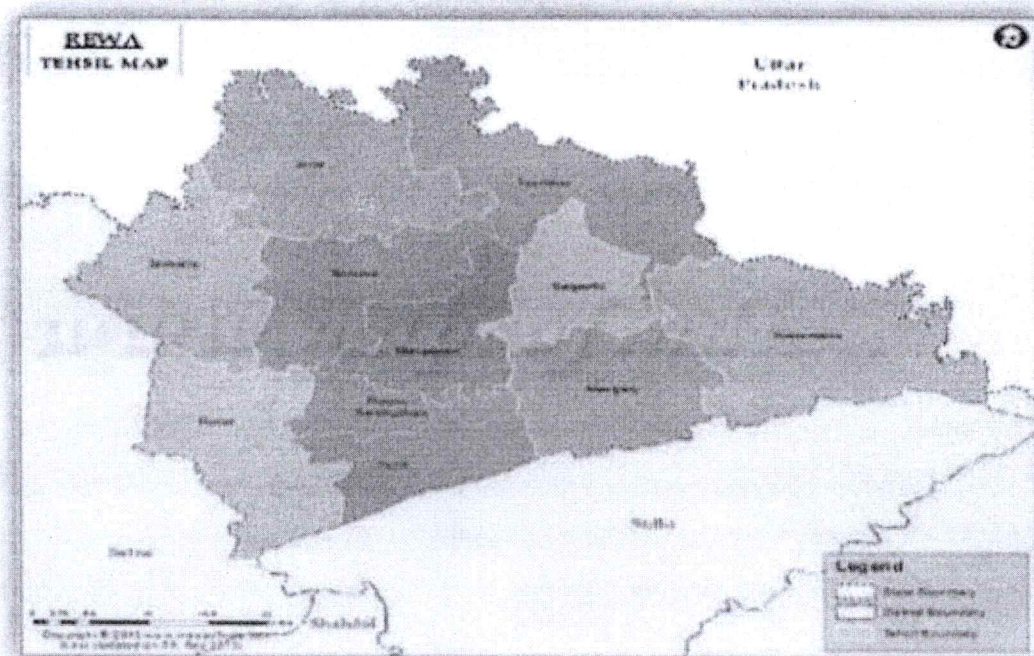
Dmy
उपसंचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला रीवा (म.प्र.)
रीवा दिनांक : 20-11-24

वनमण्डलाधिकार, वन मण्डल सामान्य जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Dmy
उपसंचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला रीवा (म.प्र.)



DISTRICT SURVEY REPORT OF MINOR MINERAL (EXCEPT RIVER SAND) REWA DISTRICT (M.P.)

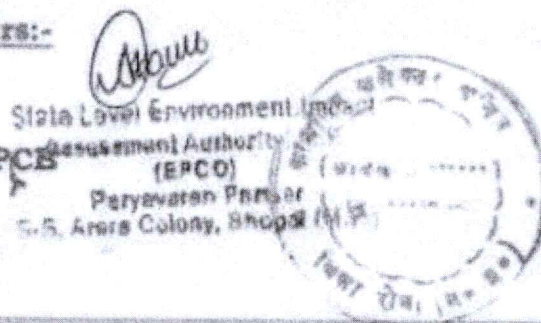


PREPARED AS PER

Notification No. S.O. 141(E), 15th January, 2016 & S.O. 3611(E), 25th July, 2018,
New Delhi, Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF & CC)

DSR Committee Members:-

- S.D.M., Rewa
- E.E. W.R.D., Rewa
- Regional Officer, MPPCB
- S.D.O. Forest, Rewa
- Mining Officer, Rewa



16	Gatti	Rajesh Pratap Singh	S/o Shri Surendra Pratap Singh, Chakrabhan Tola, Naugarhi, Distt. Rewa (M.P.)	Order No.98 date 17.01.2022	1	6 Month	Non Captive	A- N 24' 46' 57.78" B- N 24' 46' 57.64" C- N 24' 46' 54.24" D- N 24' 46' 54.44"	E 81' 48' 24.24" E 81' 48' 27.28" E 81' 48' 27.00" E 81' 48' 23.78"
17	Gatti	Shri Amit Singh S/o Shri Anil	Adaypur Post Kamargh, Tehsil Churhat, Distt. Sidhi (M.P.)	Order No.471 date 15.01.2021	2	6 Month	Non Captive	A- N 24' 36' 32.68" B- N 24' 36' 34.54" C- N 24' 36' 35.59" D- N 24' 36' 39.01"	E 81' 54' 23.95" E 81' 54' 23.93" E 81' 54' 21.29" E 81' 54' 27.15"
18	Gatti	M/s Mahamitayunjay Enter. Partner Shri Ramesh Kumar Soni,	Shilpi Apartment, Flat No.-1, Infront of Shilpi Plaza, Rewa Distt. Rewa (M.P.)	Order No.5597 date 31.12.2020	3,916	6 Month	Non Captive	A- N 24' 33' 01.94" B- N 24' 33' 04.28" C- N 24' 33' 02.53" D- N 24' 33' 08.30"	E 81' 51' 57.39" E 81' 51' 06.29" E 81' 51' 00.91" E 81' 51' 01.66"
19	Gatti	M/s Swami Nityanand ji maharaj Stores, Prop. Shri Lalit Panghal.	975/76, Sector-13, Hudda, Bhiawani, Haryana	Order No.5957 date 11.10.2021	4.59	6 Month	Non Captive	A- N 24' 32' 36.36" B- N 24' 32' 32.68" C- N 24' 32' 32.24" D- N 24' 32' 34.93"	E 81' 48' 58.95" E 81' 49' 08.95" E 81' 48' 58.98" E 81' 48' 59.94"

20	Gitti	M/s Swami Nityanand ji maharaj Stores, Prop. Shri Lalit Panghal,	975/76, Sector-13, Hudda, Bhiwani, Haryana	Order No. 5938 date 11.10.2021	4.46	6 Month	Non Captive	A- N 24' 32' 37.22"	E 81' 49' 03.96"
								B- N 24' 32' 38.88"	E 81' 49' 06.32"
								C- N 24' 32' 39.13"	E 81' 48' 17.41"
								D- N 24' 32' 33.20"	E 81' 48' 08.76"
21	Gitti	M/s Swami Nityanand ji maharaj Stores, Prop. Shri Lalit Panghal,	975/76, Sector-13, Hudda, Bhiwani, Haryana	Order No. 5939 date 11.10.2021	2.8	6 Month	Non Captive	A- N 24' 35' 08.36"	E 82' 00' 23.69"
								B- N 24' 35' 13.00"	E 82' 00' 27.09"
								C- N 24' 35' 10.91"	E 82' 00' 30.03"
								D- N 24' 35' 06.51"	E 82' 00' 24.95"
22	Gitti	Shri Ramniwas, S/o Shri Amar Singh,	Vill. Gadoli, Post Hamroopur, Tehsil Surajgarh, Distt. Jhunjhuna, Rajasthan	Order No. 495 date 17.01.2021	1	6 Month	Non Captive	A- N 24' 35' 53.27"	E 82' 03' 42.68"
								B- N 24' 35' 56.03"	E 82' 00' 44.70"
								C- N 24' 35' 54.39"	E 82' 00' 47.04"
								D- N 24' 35' 53.22"	E 82' 00' 46.22"
23	Gitti	Shri Sarbhak Dwivedi S/o Shri Awinash Chandra Dwivedi,	Mahila, Tehsil Marjhanpur, District Kousambi, (U.P.)	Order No. 3149 date 18.03.2019	2	6 Month	Non Captive	A- N 25' 06' 59.55"	E 81' 24' 07.78"
								B- N 25' 06' 04.61"	E 81' 24' 08.35"
								C- N 25' 06' 03.47"	E 81' 24' 12.47"
								D- N 25' 06' 58.50"	E 81' 24' 12.00"

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मऊगंज (म.प्र.)

E-mail:- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 307 / खनिज / 2024
प्रति

मऊगंज, दिनांक 20-11-2024

मेसर्स स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स,
प्रो. श्री ललित पंघाल
निवासी मकान नंबर 975/76 सेक्टर 13,
हुड्डा भिवानी, हरियाणा

विषय :- ग्राम हरई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.590 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) का उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र क्रमांक 770 दिनांक 12.11.2020 के निराकरण विषयक ।

संदर्भ :- 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 422/ खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 11.01.2021 एवं पत्र क्रमांक 5937/ खनिज / 2021 रीवा, दिनांक 11.10.2021
2. आपका पत्र दिनांक 01.02.2024 एवं 14.11.2024.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा ग्राम हरई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.590 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र 10 वर्ष की अवधि के लिये दिनांक 12.11.2020 को इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

वन मण्डलाधिकारी रीवा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि है जो कि खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) के अंतर्गत है। प्रकरण में आवश्यक परीक्षण उपरांत प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर रीवा जिले के ग्राम हरई गुजरान तहसील मऊगंज जिला रीवा के खसरा नं. 2/1क पी. (वन भूमि) रकवा 04.590 हे० क्षेत्र पर खनिज यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैद्धान्तिक सहमति संदर्भित पत्र दिनांक 11.01.2021 एवं 11.10.2021 द्वारा प्रदान की गई थी।

उपरोक्त प्रकरण में दिनांक से 31.01.2026 तक की अवधि के अंदर अनुमोदित खनन योजना इस कार्यालय में उपलब्ध करावें। अनुमोदित खनन योजना एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन विभाग के अनुमति प्राप्त कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराने के पश्चात् ही उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जा सकेंगे।
(कलेक्टर महो० द्वारा अनुमोदित)

DM
उप संचालक
(खनिज प्रशासन)
जिला रीवा (म0प्र0)

कार्यालय क्षेत्रीय प्रमुख
खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश
ई मेल - rhdgmrew@mp.gov.in
फोन एवं फैक्स न. 07662 222044, 222045

क्रमांक 1451/भौ./न.क्र./2020-21

रीवा दिनांक 22/12/2020

प्रति

प्रभारी अधिकारी खनिज
जिलाध्यक्ष कार्यालय
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- ग्राम हरई गुजरान तह. मरुगंज जिला रीवा के ख.न. 2/1 (पी) रकबा 4.590 हे. में खनिज पत्थर (यां. वि. से गिट्टी निर्माण) का उत्खनिपट्टा हेतु आवेदन पत्र। आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स प्रो. श्री ललित पट्टाल।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 5200/खनिज/2020 रीवा दिनांक 13.11.2020

—00—

उपरोक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। आवेदित क्षेत्र के अक्षांश देशांश की जानकारी के अभाव में आवेदक द्वारा बताए गए आवेदित क्षेत्र एवं आसपास स्थित क्षेत्र में स्थित खदानों में विद्यमान चट्टानों के संस्तर का अवलोकन किया गया। क्षेत्रीय भौगोलिक एवं भूगर्भीय स्थिति के अनुसार क्षेत्र में विन्ध्य समूह की चट्टानें विद्यमान हैं। क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज क्वार्ट्जिटिक सैंड स्टोन है। जिसे गौण खनिज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। क्षेत्र में अन्य किसी प्रकार का मिनरलाइजेशन नहीं देखा गया। क्षेत्र में लगभग 2,29,000 घन मीटर खनिज उपलब्ध हो सकता है।

क्षेत्रीय प्रमुख

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in.

आदेश

रीवा,दिनांक 22-01-2025

क्रमांक/मा.चि./2025/18, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-1194/191/2022/नियम/चार, भोपाल दिनांक 14.07.2022 द्वारा प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के तहत वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पीएफ-399 के रकबा 2.21 हे., वन परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पीएफ-334 के रकबा 4.59 हे., वन कक्ष क्रमांक पीएफ-334 के रकबा 4.46 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन हेतु 03 परियोजनाओं में प्रस्तावित कुल वन भूमि रकबा 11.26 हे. के बदले वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक/तक/475 दिनांक 22.01.2025 से वन मण्डल सिंगरौली, परिक्षेत्र पश्चिम सरई, रकबा 5.00 हे. एवं 3.00 हे. की संशोधित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु इस कार्यालय की ओर भेजे जाने पर पूर्व की जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक 183 दिनांक 25.08.2023 को निरस्त कर प्राप्त पुनरीक्षित क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है-

परियोजना/मद का नाम	कार्य विवरण	परिक्षेत्र	कार्य स्थल	कक्ष क्रमांक	कुल रकबा हे. में	कुल प्रस्तावित राशि रु. में
1. वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र हनुमना के वन कक्ष क्रमांक पीएफ-399 के रकबा 2.21 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु), FP/MP/MIN/152429/2022	क्षतिपूर्ति वनीकरण	प0 सरई	समूद	पीएफ-603	5.00	4005358.00
2. वन मण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र मऊगंज वन कक्ष क्रमांक पीएफ-334 के रकबा 4.46 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) FP/MP/MIN/152431/2022	क्षतिपूर्ति वनीकरण	प0 सरई	समूद	पीएफ-603	3.00	3604104.00
3. वन मण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पीएफ-334 के रकबा 4.59 हे. सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु), FP/MP/MIN/152432/2022						
आवेदक स्वामी श्री नित्यानन्द महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा।						
				योग	8.00	76,09,462.00

शर्तें-

- सभी क्षतिपूर्ति वनीकरण रोपण (वैकल्पिक वृक्षारोपण) में पौधों का जीवित प्रतिशत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. क्रमांक 574 दिनांक 08.09.2000 के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये।
- म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-25-36/2005/10 -3/2002 दिनांक 10 अक्टूबर 2023 से दिये गये निर्देशानुसार वृक्षारोपण योजना में पर्यवेक्षण शुल्क की राशि कुल राशि रु.76,09,462/- का 10 प्रतिशत रु.7,60,946/- नियमानुसार पृथक से ली जावेगी।
- जीवित पौधों के प्रतिशत की गणना प्रतिवर्ष मई एवं अक्टूबर माह में कराई जावे।
- कार्य का क्रियान्वयन स्वीकृति योजना के नियमों के तहत ही कराया जावे तथा कार्य में कार्यरत श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान शासन द्वारा निर्धारित दैनिक दर पर ही कराया जावेगा।
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मजदूरी दर में वृद्धि का प्रावधान किया गया है फिर भी यदि दर में इससे अधिक की वृद्धि होती है, तो अन्तर की राशि सम्बन्धित संस्था द्वारा जमा कराई जावेगी।
- सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन अनिवार्य हो।

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

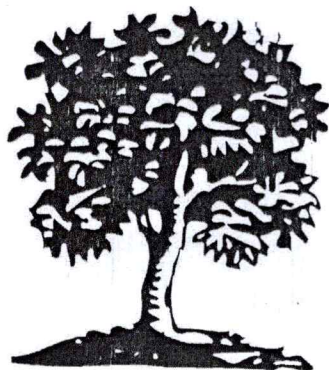
पृ.क्रमांक/मा.चि./2025/499

रीवा,दिनांक 22-01-2025

- प्रतिलिपि- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त,रीवा म.प्र.

मध्यप्रदेश, शासन वन विभाग



वैकल्पिक वृक्षारोपण की ग्यारह वर्षीय प्रस्ताव

परियोजना का नाम	—	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 9664
स्थल का नाम	—	समूद
कक्ष क्रमांक	—	पी.एफ. 603
क्षेत्र तैयारी रकवा	—	5.00 हेक्टेयर
रोपण का रकवा	—	5.00 हेक्टेयर
योजना अवधि	—	2023—24 से 2033—34
अनुमानित व्यय	—	4405893.00
प्रति हेक्टेयर व्यय	—	881179.00

वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य) मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना

परियोजना का नाम	:- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 9664
कुल क्षेत्रफल	:- 5.00 हेक्टेयर
रोपण का रकवा	:- 5.00 हेक्टेयर
वनमण्डल का नाम	:- सिंगरौली (सामान्य)

सामान्य विवरण

1. परियोजना का नाम :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण 9664
2. जिला :- सिंगरौली
3. वनमण्डल :- सिंगरौली
4. परिक्षेत्र :- पश्चिम सरई
5. तहसील :- सरई
6. ग्राम पंचायत :- समूद
7. बीट का नाम :- पूर्व सरई
8. कक्ष क्रमांक :- पी.एफ. 603
9. ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा
समिति का नाम :- समूद
10. कक्ष किस कार्य वृत्त में आता है :- विगड़े वनों का सुधार
11. मिट्टी का प्रकार :- सेन्डीलोम
12. साईट क्वालिटी :- IVB

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 5000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण :-

प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
बांस	1000	1½ से 2 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	3.0 से 5.0
सागौन	2000	1 से 1.5 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	3.5 से 5.0
नीम	1000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.0 से 2.5
आंवला ग्राफ्टेड	1000	1 वर्ष	न्यूनतम 45 से.मी.	2.0 से 2.5
योग-	5000	-	-	-

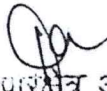
3. मृदा एवं जल संरक्षण कार्य :- क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के अंतर्गत उपयुक्त स्थलों पर 45 से.मी. गहरे तथा 45 से.मी. चौड़े तथा 3 मीटर लम्बाई में कंटूर ट्रेंच बनाये जायेंगे। आवश्यकता अनुसार उपयुक्त स्थलों पर कंटूर बण्ड का निर्माण किया जायेगा। क्षेत्र में मौजूद छोटे नालों में पत्थर से नाला बंधान का कार्य किया जावेगा। इन कार्यों के लिये प्रथम वर्ष की राशि की 25 प्रतिशत राशि प्रावधानित है।
4. क्षेत्र की सुरक्षा :- वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग तथा आर.सी.सी. पोल लगाकर की जावेगी।
5. पुर्नउत्पादन सफाई :- क्षेत्र में किये गये ठूठ ड्रेसिंग कार्य से प्राप्त कापिस की सिंगलिंग का कार्य सुरक्षा श्रमिकों के माध्यम से द्वितीय वर्ष अथवा तृतीय वर्ष में किया जावेगा। क्षेत्र में बिरलन कार्य कार्ययोजना में दिये प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
6. रखरखाव :- रोपण के उपरांत 10 वर्ष तक रखरखाव कार्य प्रस्तावित किया गया है।
7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य :- रोपण के उपरांत प्रतिवर्ष दिनांक 01 मई तथा 01 अक्टूबर की स्थिति में जीवित पौधों की गणना तथा गोलाई की गणना की जावेगी। इस गणना की प्रविष्टि रोपण पंजी में की जावेगी।

समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य का विवरण निम्नानुसार रहेगा :-

परिक्षेत्र सहायक द्वारा	100 प्रतिशत
परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा	50 प्रतिशत
उप वनमण्डल अधिकारी द्वारा	20 प्रतिशत
वनमण्डल अधिकारी द्वारा	10 प्रतिशत

राज्य शासन द्वारा समय-समय पर गैर शासकीय/शासकीय संस्थाओं से करवाया जाने वाला मूल्यांकन इसके अतिरिक्त रहेगा।

रखरखाव अवधि समाप्त होने पर पौधे स्थाईत्व को प्राप्त कर लेंगे।


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना

भाग - 1 सामान्य विवरण

1 योजना का विवरण

(अ) परियोजना का नाम	वैकल्पिक वृक्षारोपण 9664
(ब) भारत सरकार का अनुमोदन	—
(स) प्रत्यावर्तित वनभूमि का विवरण	वनभूमि
(i) जिला	— सिंगरौली
(ii) वन मण्डल	— सिंगरौली
(iii) वन परिक्षेत्र	— पश्चिम सरई
(iv) तहसील	— सरई
(v) विकासखण्ड	— देवसर
(vi) विधानसभा क्षेत्र	— देवसर
(vii) परिक्षेत्र सहायक वृत्त	— सरई
(viii) परिसर	— पूर्व सरई

2 स्थल विशेष की जानकारी

(i) ग्राम वन समिति	— समूद
(ii) वनखण्ड एवं कक्ष क्रमांक	— हट्टा पी0एफ0 603
(iii) कार्यवृत्त	— आर0डी0एफ0
(iv) प्रबंध श्रेणी	— दुधमनिया
(v) वन का प्रकार	— Mixed
(vi) Growing Stock	— US-2
(vii) आयु वर्ग	— Middle
(viii) स्थल गुणवत्ता	— IVB

3 समिति का विवरण

(i) गठित समिति का प्रकार	— ग्राम वन समिति समूद
(ii) समिति का मुख्यालय	— समूद
(iii) समिति के अध्यक्ष का नाम	— श्री सोनसाह अगरिया
(iv) परिसर रक्षक का नाम	— श्री उमाकान्त उपाध्याय कार्यवाहक वनपाल
(v) परिक्षेत्र सहायक का नाम	— श्री रामनाथ प्रजापति वनपाल

4 उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं रचना

(i) अभिमुखता (Aspect)	— दक्षिणी-उत्तर
(ii) प्रवणता (Gradient)	— मध्यम
(iii) भू-विन्यास (Configuration)	— सम ढाल
(iv) भौमिकी (Geology)	— विन्ध्यन
(v) शैल	— सैन्डरस्टोन ,
(vi) मिट्टी का प्रकार	— सैण्डीलोम
(vii) औसत वार्षिक वर्षा	— 1180 M.M.

- (viii) नरम मिट्टी का क्षेत्र — 2.5 हे०
 (ix) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र — 2 हे०
 (x) खरपतवार (मुख्यतः लेण्टाना) — निरंक
 (xi) विकृत बांस का क्षेत्र — निरंक
 (xii) जैविक दबाव —

प्रकार	जैविक दबाव		
	अत्याधिक	औसत	नगण्य
वन्य प्राणी	X	X	Y
चराई	Y	X	X
मानव	Y	X	X

- 5 योजना अवधि — 2023-24 से 2033-34 तक
 6 योजना पर होने वाला सम्भावित व्यय — 4405893

(विस्तृत प्राक्कलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है)

अन्य विवरण :-

क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा हेतु संवेदनशीलता के मद्देनजर चैनलिंग फेंसिंग का प्रावधान रखा गया है तथा प्रभावी सुरक्षा हेतु परियोजना की अवधि ग्यारह वर्षीय रखी गई है। रोपण क्षेत्र की सुरक्षा ग्राम वन समितियों के माध्यम से की जायगी।

भाग -2

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आँकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं।

श्री राजनाथ प्रजापति वनपाल
परिक्षेत्र सहायक बरका

श्री उमाकान्त उपाध्याय का.वनपाल
बीट प्रभारी पूर्व सरई

प्रमाणित किया जाता है कि स्थल का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आँकड़ों की पुष्टि की गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। प्रस्तावित क्षेत्र उपचार कार्यों के योग्य है।

उप वनमण्डल अधिकारी
उप वनमण्डल देवसर

स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई अन्तर्गत बीट पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 603 रकवा 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र का भ्रमण कर आवश्यक आकड़े मेरे द्वारा तैयार किये गये हैं। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना से वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।


कार्यवाहक वनपाल
बीट गार्ड पूर्व सरई

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई अन्तर्गत बीट पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 603 रकवा 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण किया जाकर स्थल आधारित उपचार मानचित्र मेरे द्वारा तैयार किया गया तथा एकत्रित आकड़ों की पुष्टि की गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना से वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।


परिक्षेत्र सहायक
सरई

प्रमाणित किया जाता है कि वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई अन्तर्गत बीट पूर्व सरई के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 603 रकवा 5.00 हेक्टेयर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित जानकारी सही पायी गई। मौके की स्थिति एवं वन प्रबंधन की दृष्टि से उक्त स्थल में क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना से वृक्षारोपण कार्य कराये जानें हेतु उपयुक्त है।


उप वन मण्डल अधिकारी
देवरसर


वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली


वनपरिक्षेत्र अधिकारी
वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना से प्रस्तावित कक्ष क्रमांक पी.एफ. 603 रकवा 5.00 हेक्टेयर वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई में स्थित है। इस स्थल के समीप पत्थर दीवार/फेंसिंग बनाने हेतु पत्थर की उपलब्धता नगण्य है। "वृक्षारोपण क्षेत्र के घेराव का एक मात्र एवं सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चैनलिंग फेंसिंग ही है, वृक्षारोपण क्षेत्र में चैनलिंग से फेंसिंग का घेराव हो जाने पर वृक्षारोपण क्षेत्र एवं चैनलिंग फेंसिंग की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी"



वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई

क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना से वृक्षारोपण कार्य के प्रोजेक्ट परीक्षण हेतु

चेक-लिस्ट

स्थल- समूह, पी. एफ. 603, रकबा 5.00 हेक्टेयर वर्ष 2023-24

क्र०	परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	प्रस्तावित राशि	प्रति (हेक्टेयर व्यय)	समिति की सामान्य जानकारी	उपचार की जानकारी	प्राक्कलन	उपचार मानचित्र	गूगल मानचित्र	स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र	घेराव कार्य हेतु प्रमाण-पत्र	ग्राम वन समिति का प्रस्ताव	.KML फाईल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना	5.00	4405893	881179	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	संलग्न है	ई-मेल से प्रेषण	


वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आदर्श योजना

योजना का प्रथम वर्ष 2023-24

क्षेत्र तैयारी कार्य (संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर)

1- स्थल का नाम	:- समूद	प.स. वृत्त :-	सरई
2- कक्ष क्रमांक	:- PF 603	वन परिक्षेत्र :-	पश्चिम सरई
3- रकवा (हेक्टेयर)	:- 5.00 Hectare	वनमण्डल :-	सिंगरौली
4- दर	:- 378.00	वन वृत्त :-	रीवा
5- क्षेत्र तैयारी का रकवा	:- 5.00 ha.	रोपण का रकवा	5.00 हेक्टेयर

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सर्वे सीमांकन	5.00	0.45	प्रति हेक्टेयर	2.25	378	851	
2	पक्के मुनारों का मरम्मत कार्य	2	10.00	प्रति मुनारा	20.00	378	7560	
3	ट्रीटमेन्ट टाईप के क्षेत्र में सीमांकन (सामग्री सहित)	5.00	-	-	5.00	378	1890	
4	क्षेत्र सफाई	5	4.00	प्रति हेक्टेयर	20.00	378	7560	
5	लेन्टाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	0	12.50	प्रति हेक्टेयर	0.00	378	0	
6	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.80 मीटर ऊंची 75mm.x75mm. की मेस साईज, 12 गेज चैनलिक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेन्ट के पोल 2.50 मीटर के अन्तराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मीटर प्रति किलो नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेन्ट पोल को 30cm.x30cm.x45cm. के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेन्ट कंक्रीट से भरा जावेगा।	430	2.40	प्रति रनिंग मीटर	1032.00	378	390096	
7	गड्ढा खोदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेन्ट	5000	2.50	प्रति हजार	12.50	378	4725	
8	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई साईज 45x45x45cm.	5000	5.00	प्रति सेकड़ा	250.00	378	94500	
9	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु उपजाऊ मिट्टी क्रय (आयतन का 30 प्रतिशत)	0.00	1.50	प्रति घ.मी.	0.00	378	0	
10	गोबर खाद डालने हेतु क्रय (आयतन का 15 प्रतिशत)	0.00	3.00	प्रति घ.मी.	0.00	378	0	
11	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं गोबर खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	0	1.50	प्रति सेकड़ा	0.00	378	0	
12	हट निर्माण	-	-	एल.एस.	0.00	378	0	
13	अन्य व्यय (सूचना बोर्ड, गेट स्टेशनरी फोटोग्राफी पेन्ट, चूना आदि)	-	-	एल.एस.	105.82	378	40000	
	योग :-						547182	
14	भू-जल संरक्षण कार्य 25 प्रतिशत	-	-	एल.एस.	361.89	378	136795	
	महायोग :-				1809.46		683977	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						136795	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

अवनमण्डल अधिकारी
देवसर

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

योजना का द्वितीय वर्ष 2024-25

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोपणी कार्य							
	(अ) प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय	5000	10.00	प्रति पौधा	132.28	378	50000	
	(ब) मृत पौधों का बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	1000	10.00	प्रति पौधा	26.46	378	10000	
2	पौधों का परिवहन							
	(अ) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	6000	1.50	प्रति सैकड़ा	90.00	378	34020	
	(ब) सिरबोझ द्वारा (1 कि.मी.)	6000	0.40	प्रति सैकड़ा	24.00	378	9072	
3	लेन्टाना मापिंग अप-आपरेशन	0	8.00	प्रति हेक्टेयर	0.00	378	0	
4	रोपण कार्य साईज 0.45x0.45x.045	5000	1.80	प्रति सैकड़ा	90.00	378	34020	
5	निर्दाई कार्य							
	(अ) प्रथम निर्दाई	5000	1.25	प्रति सैकड़ा	62.50	378	23625	
	(ब) द्वितीय निर्दाई	5000	1.00	प्रति सैकड़ा	50.00	378	18900	
	(स) तृतीय निर्दाई	0	1.00	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
6	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	5000	0.60	प्रति सैकड़ा	30.00	378	11340	
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
8	सुरक्षा 1 श्रमिक (9 माह)	270	378.00	प्रति दिवस	270.00	378	102060	
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई (टैंकर द्वारा)	-	-	एल.एस.	500.00	378	0	
10	अन्य व्यय (कीटनाशक, ग्रोथ टोन-अप, जैविक खाद आदि क्रय)	-	-	एल.एस.	79.37	378	30000	
	महायोग :-				1361.33		325581	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						65116	

योजना का तृतीय वर्ष 2025-26

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	500	10.00	प्रति पौधा	13.23	378	5000	
2	पौधों का परिवहन							
	(अ) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	500	1.50	प्रति सैकड़ा	7.50	378	2835	
	(ब) सिरबोझ द्वारा (1 कि.मी.)	500	0.40	प्रति सैकड़ा	2.00	378	756	
3	चेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	-	-	एल.एस.	80.00	378	30240	
4	निर्दाई कार्य							
	(अ) प्रथम निर्दाई	5000	1.25	प्रति सैकड़ा	62.50	378	23625	
	(ब) द्वितीय निर्दाई	0	1.00	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
	(स) तृतीय निर्दाई	0	1.00	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
5	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	0	0.60	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
6	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
7	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
8	उपलब्धता अनुसार सिंचाई (टैंकर द्वारा)	-	-	एल.एस.	400.00	378	0	
9	अन्य व्यय (कीटनाशक, ग्रोथ टोन-अप, जैविक खाद आदि क्रय)	-	-	एल.एस.	13.76	378	5200	
	महायोग :-				945.72		206280	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						41256	

योजना का चतुर्थ वर्ष 2026-27

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुनरोपण हेतु)	0	10.00	प्रति पौधा	0.00	378	0	
2	पौधों का परिवहन							
	(अ) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	0	1.50	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
	(ब) सिरबोझ द्वारा (1 कि.मी.)	0	0.40	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
3	निंदाई कार्य							
	(अ) प्रथम निंदाई	0	1.25	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
	(ब) द्वितीय निंदाई	0	1.00	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
	(स) तृतीय निंदाई	0	1.00	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
4	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	0	0.60	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
6	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)	-	-	एल.एस.	350.00	378	2500	
	महायोग :-				716.73		141124	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						28225	

योजना का पंचम वर्ष 2027-28

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	घेनलिक फेंसिंग मरम्मत कार्य	-	-	एल.एल.	100.00	378	37800	
2	निर्दाई कार्य							
	(अ) प्रथम निर्दाई	0	1.25	प्रति सेंकड़ा	0.00	378	0	
	(ब) द्वितीय निर्दाई	0	1.00	प्रति सेंकड़ा	0.00	378	0	
	(स) तृतीय निर्दाई	0	1.00	प्रति सेंकड़ा	0.00	378	0	
3	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	0	0.60	प्रति सेंकड़ा	0.00	378	0	
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
5	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
6	अन्य व्यय	-	-	एल.एस.	100.00	378	1500	
	महायोग :-				566.73		177924	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						35585	

योजना का षष्ठम वर्ष 2028-29

क्र0	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निर्दाई कार्य							
	(अ) प्रथम निर्दाई	0	1.25	प्रति सैकड़	0.00	378	0	
	(ब) द्वितीय निर्दाई	0	1.00	प्रति सैकड़	0.00	378	0	
	(स) तृतीय निर्दाई	0	1.00	प्रति सैकड़	0.00	378	0	
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
3	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
4	अन्य व्यय	-	-	एल.एस.	100.00	378	1500	
	महायोग :-				466.73		140124	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						28025	

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र पश्चिम सरई

देवसर

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली

योजना का सप्तम वर्ष 2029-30

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निर्दाई कार्य							
	(अ) प्रथम निर्दाई	0	1.25	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
	(ब) द्वितीय निर्दाई	0	1.00	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
3	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
4	अन्य व्यय	-	-	एल.एस.	40.00	378	1500	
	महायोग :-				406.73		140124	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						28025	

योजना का अष्टम वर्ष 2030-31

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	निर्दाई कार्य							
	(अ) प्रथम निर्दाई	0	1.25	प्रति सैकड़ा	0.00	378	0	
2	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
3	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
4	अन्य व्यय	-	-	एल.एस.	30.00	378	1500	
	महायोग :-				396.73		140124	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						28025	

योजना का नवम् वर्ष 2031-32

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
2	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
3	अन्य व्यय	-	-	एल.एस.	25.00	378	1275	
	महायोग :-				391.73		139899	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						27980	

योजना का दशम वर्ष 2032-33

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
2	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
3	अन्य व्यय	-	-	एल.एस.	20.00	378	520	
	महायोग :-				386.73		139144	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						27829	

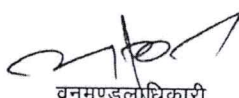
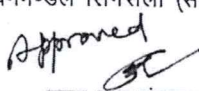
योजना का एकादशम् वर्ष 2033-34

क्र०	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमोदित दर (मानव दिवस)	इकाई	कुल मानव दिवस	दर	राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	(अ) 6 मीटर चौड़ी	0.75	3.35	प्रति कि.मी.	2.51	378	950	
	(ब) 3 मीटर चौड़ी	1.88	2.25	प्रति कि.मी.	4.22	378	1595	
2	सुरक्षा समिति द्वारा 1 श्रमिक (12 माह)	360	378.00	प्रति दिवस	360.00	378	136080	
3	अन्य व्यय	-	-	एल.एस.	9.00	378	830	
	महायोग :-				375.73		139454	
	प्रति हेक्टेयर व्यय :-						27891	

गोशवारा

क्र०	कार्य का विवरण	वर्ष	राशि	कुल मानव दिवस	प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल मा. दि. वृद्धि पर	कुल आवश्यक राशि	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रथम वर्ष (क्षेत्र तैयारी)	2023-24	683977	1809.46	1	1809	683977	136795
2	द्वितीय वर्ष (रोपण)	2024-25	325581	1361.33	1.06	1443	545456	109091
3	तृतीय वर्ष (रखरखाव)	2025-26	206280	945.72	1.1236	1063	401665	80333
4	चतुर्थ वर्ष (रखरखाव)	2026-27	141124	716.73	1.191	854	322675	64535
5	पंचम वर्ष (रखरखाव)	2027-28	177924	566.73	1.2625	715	270453	54091
6	षष्ठम वर्ष (रखरखाव)	2028-29	140124	466.73	1.3382	625	236096	47219
7	सप्तम वर्ष (रखरखाव)	2029-30	140124	406.73	1.4185	577	218089	43618
8	अष्टम वर्ष (रखरखाव)	2030-31	140124	396.73	1.504	597	225491	45098
9	नवम् वर्ष (रखरखाव)	2031-32	139899	391.73	1.594	624	236008	47202
10	दशम वर्ष (रखरखाव)	2032-33	139144	386.73	1.69	653	246975	49395
11	एकादशम् वर्ष (रखरखाव)	2033-34	139454	375.73	1.79	673	254348	50870
	योग :-		2373759	7824.35		9633	3641234	728247
1	आस्था मूलक कार्य (जे.एफ.एम. आदि) कुल दस वर्ष के व्यय का 5 प्रतिशत			3641234	5%	182062		36412
2	मानव संसाधन विकास कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 1 प्रतिशत			3641234	1%	36412		7282
3	मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य कुल दस वर्ष के व्यय का 4 प्रतिशत			3641234	4%	145649		29130
	योग :-					4005358		801072
1	वर्कचार्ज कन्टनजन्सी एवं सुपरविजन दस प्रतिशत			4005358	10%	400536		80107
	महायोग :-					4405893		881179


वन परिशिष्ट अधिकारी
वनपरिक्षेत्र पश्चिम सरई


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सिंगरौली (सामान्य)

मुख्य वन संरक्षक
रीवा, वृत्त रीवा (मध्यप्रदेश)


उप वन मण्डल अधिकारी
देवसर

आदेश क्रमांक / 18 दिनांक / 22/01/2025 से स्वीकृति प्रदान की गई।

GEO REFERENCED MAP FOR COMPENSATORY AFFORESTATION

Division : Singrauli

Proposal Number :

Proposal Name : Campa Pariyojana

Compartment Number PF 603 Area 5 Ha.

S.No.	Latitude	Longitude
1	2	3
1	24° 0'38.46"N	82°10'33.82"E
2	24° 0'46.15"N	82°10'37.53"E
3	24° 0'43.24"N	82°10'43.61"E
4	24° 0'35.38"N	82°10'39.58"E


वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र पश्चिम सरगढ़



SALUNDA

12/11/2022

1885

Handwritten signature and text in Devanagari script.

Handwritten text in Devanagari script.

42,500

Motorahedi season

P-602

P-603

HAT TA PROTE

ATED

38 Chunaiya

PAD R

Hatta

km

MIX PLNT 2018
MIX PLNT 2014

Handwritten notes in Devanagari script.

22105 21.01.2014
Handwritten notes in Devanagari script.

Handwritten signature and official stamp.